63

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs 30/-

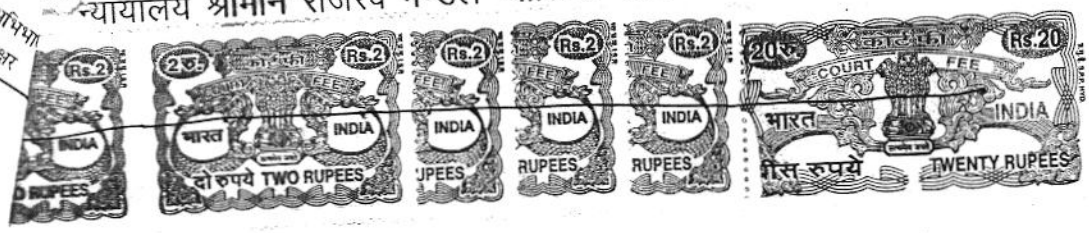

1– सुरेन्द्र कुमार शुक्ला तनय श्री तीरथ प्रसाद शुक्ला उम्र 42 वर्ष
निवासी ग्राम झिन्ना तह0 रामनगर जिला सतना म0प्र0

R 5471-II/16

———— निगरानीकर्ता /आवेदक

बनाम

1– नरेंन्द्र कुमार शुक्ला तनय तीरथ प्रसाद शुक्ला उम्र 35 वर्ष

2– तीरथ प्रसाद शुक्ला तनय रामदास ब्रा0 दोनो निवासी ग्राम झिन्ना तह0 रामनगर जिला सतना म0प्र0 ———— गैरनिगरानीकर्ता /अना0गण

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामनगर जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 68/अपील /15–16 मे पारित आदेश दिनांक 14–10–16,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 द्वारा अवधि बाधित अपील प्रस्तुत किया था , उपरोंक्त अपील समय सीमा से 487 दिन पश्चात यानी 487 दिन बिलम्ब से पेश की गयी थी तथा बिलम्ब के प्रत्येक दिन का कोई उचित कारण नही बताया गया था फिर भी बिलम्ब माफी का आवेदन स्वीकार करने की भूल की है ।

3– यह कि निगरानी कर्ता द्वारा बिलम्ब माफी आवेदन पत्र का विधिवत जबाब दिया था तथा शपथ पत्र पेश किया था जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 स्वयं पिता के साथ न्यायालय मे उपस्थित होकर नामान्तरण हेतु सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया था

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5471-अ/16 जिला सतना

सुरेन्द्र कुमार विरूद्ध नारेन्द्र कुमार

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामनगर के प्रकरण क्रमांक 68/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 14-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 06-03-19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

जबाब दिया था तथा शपथ पत्र पेश किया था जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 स्वयं पिता के साथ न्यायालय मे उपस्थित होकर नामान्तरण हेतु सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया था